कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 17412 /जी–195/2017–18/अधि0 दिनांक : 13 फरवरी 2019

विज्ञप्ति

निदेशालय के पत्र संख्या–15158/जी0–66/2018–19/अधि0दिंनाक 15 जनवरी 2019 के द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टो के रिक्त पदो पर चयन हेतु दिंनाक 25 फरवरी 2019 को प्रातः 10.30 बजे कार्यालय निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,डाण्डा लखौण्ड ,निकट आई0टी0पार्क देहरादून के परिसर में काऊन्सिलिंग आहूत होगी। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) की पात्रता हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–29/XXXVI/03(1)/2019 दिंनाक 05 फरवरी 2019 के बिन्दु संख्या–07 के अनुसार आरक्षण हेतु प्रमाण–पत्र काऊन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करेगें। **केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अध्यादेश–2019 के अन्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18 फरवरी 2019 सायं 05 बजे तक बढायी जाती है।** सभी सम्बन्धित अभ्यर्थी निश्चित समय पर समस्त मूल अभिलेखो सहित काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार की सूचना निदेशालय के दूरभाष संख्या– 0135–2608742 से प्राप्त की जा सकती है। काऊन्सिलिंग से समस्त जानकारी विभागीय वैबसाईट पर ही उपलब्ध होगी।

(प्रो0 अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 17413 /जी–66/2018–19/अधि0 दिनांक : 13 फरवरी, 2019

<u>संशोधित विज्ञप्ति</u>

सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) की पात्रता हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–29/XXXVI/03(1)/2019 दिंनाक 05 फरवरी 2019 के कियान्वयन हेतु निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या–15157/जी0–66/2018–19/अधि0 दिंनाक 15 जनवरी 2019 को एतद द्वारा संशोधित करते हुए **<u>केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अध्यादेश–2019 के अन्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18 फरवरी 2019 सायं 05 बजे तक बढ़ायी जाती है।</u>** पूर्व विज्ञप्ति की सेवा शर्ते एतद द्वारा संशोधित कर पदो का वर्गीकरण निम्नवत किया जाता है:–

विज्ञापित पदों की संख्या एवं विवरण	क्षैतिज आरक्षण				कुल क्षैतिज आरक्षण	ओपन कैटगिरी
	महिला (30 प्रतिशत)	विकलांग ओ0ए0,ओ0एल0श्रेणी (05 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक (05 प्रतिशत)	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित (02 प्रतिशत)		
सामान्य–29	10	01	1	01	13	16
सामान्य आरक्षित 10 प्रतिशत	01	0	0	0	01	02
योग–32	**11**	**01**	**01**	**01**	**14**	**18**

(9) **आरक्षण**– उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था हेतु अधिसूचना में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(10) **अर्हतायें :–**

(अनिवार्य अर्हतायें)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान वर्ग में (बाईलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक या यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) का दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(अधिमानी अर्हताए)

(iv) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या

(v) नेशनल कैडिट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या

(vi) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(11) उत्तराखण्ड राज्य में किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

(12) **<u>आयु</u> :–** दिनांक 01 जुलाई 2019 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर

अधिसूचित किया जाये, को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम् आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

(13) **<u>शुल्क</u>** :– आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को रू0 150/– का बैंक चालान लेखाशीर्षक **0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800–अन्य प्राप्तियां, 10– अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां आयुर्वेदिक** के शीर्षक में जमा होगा, आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) **<u>चयन प्रक्रिया</u>** :– शासन द्वारा निर्गत, "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009" एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या–1125/ XXXX/2010–90/2010 दिनांक 25 नवम्बर,2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार चयन, डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष वार योग्यता क्रम (मैरिट) के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(15) **<u>आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :–</u>** निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र **"निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क, देहरादून"** के कार्यालय में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। आवेदन हेतु फिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखा होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **<u>केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अध्यादेश–2019 के अन्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18 फरवरी 2019 सायं 05 बजे तक बढायी जाती है।</u>**

(16) **<u>अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां निम्न कम के अनुसार संलग्न करना भी अनिवार्य है–</u>**

1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)।
2. हाई–स्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
3. भैषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
4. भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
5. मूल–निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र।
6. चरित्र प्रमाण–पत्र–2 (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
7. निर्धारित शुल्क बैंक चालान मूल रूप में।
8. स्वयं पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगे हों।
9. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो।

(डा0) अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक